न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, (पीलीभीत)

परिवाद संख्या 806 / 2017

संजय कुमार ------बनाम------- मनोज कुमार आदि||

दिनांकः 19.09.2018

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना गया है एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

परिवाद कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि अब से सात वर्ष पूर्व परिवादी के परिचित रिश्तेदार विपक्षी राधाकृष्ण के घर मेहमानी खिलाने के बहाने ले गये और उसकी शादी विपक्षी सुमनलता से जबरन करा कर विदा करा दिया। जब कि सुमन लता उससे उम्र में 9वर्ष बडी है किन्तु फिर भी परिवादी उसे राजी खुशी रखने लगा परन्तु विपक्षीगण मनोज कुमार, निशा उर्फ रेनू, राधाकृष्ण, संजय कुमार, अनुज कुमार उसकी पत्नी सुमनलता को गलत भरकर झगडा करते रहे है, जिसका उलाहना उसने अपने ससुर राधाकृष्ण को दिया तो विपक्षीगण ने कहा कि ठीक अब सब कुछ ठीक चलेगा कोई झगडा फसाद नही होगा और विपक्षीगण सुमनलता को बाजार खरीदारी हेतु लेकर चले गये और बाद में सभी विपक्षीगण एक राय होकर उसके घर में घुस आये और उसे व उसके घर वालों माता, भाई की पत्नी आदि को मारा पीटा और कीमती जेवर व तीन लाख रूपये लूटकर गन्दी गन्दी गालियॉ व जान से मारने की धमकी देते हुए बोलेरो गाडी से भाग गये।

परिवादी स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 200दं0प्र0सं0 का बयान अंकित कराया और परिवाद कथानक के समर्थन में उसकी ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू01 नवीन कुमार व पी0डब्लू02 राजीव कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने अपने अपने सशपथ साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 से परिवाद कथानक का समर्थन है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी ने अपने सशपथ बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रकिया संहिता में कथन किया है कि परिवादी का जबरन विवाह सुमनलता से विपक्षीगण मनोज कुमार, निशा उर्फ रेनू, राधाकृष्ण, संजय कुमार, अनुज कुमार ने करवा दिया और उसके घर आये दिन लडाई झगडा करवाते थे, जिसका उलहना देने पर विपक्षीगण उसके घर में घुस आये और उसे व उसके घर वालों को मारा पीटा, गन्दी गन्दी गालियॉ व जान से मारने की धमकी दी व उसके घर से कीमती जेवरात व तीन लाख रूपये लूटकर भाग गये, परन्तु परिवादी के घर से कीमती जेवरात व तीन लाख रूपये लूटकर भाग जाने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट व ठोस साक्ष्य नही प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त के सम्बन्ध में साक्षियों का साक्ष्य विरोधाभासी है। अतः विपक्षीगण द्वारा परिवादी व उसके घर वालों के साथ मार पीट और उन्हे गन्दी गन्दी गालियॉ दिये जाने व जान से मारने की धमकी दिये जाने के संबंध में तलब किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिवादी की परीक्षा अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रकिया संहिता एवं साक्षीगण की परीक्षा अन्तर्गत 202 दण्ड प्रकिया संहिता पर विचार करने के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि विपक्षीगण मनोज कुमार, निशा उर्फ रेनू, राधाकृष्ण, संजय कुमार, अनुज कुमार व सुमनलता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 504, 506 के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण मनोज कुमार, निशा उर्फ रेनू, राधाकृष्ण, संजय कुमार, अनुज कुमार व सुमनलता को धारा 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु जरिए सम्मन तलब किया जाता है। परिवादी अन्दर सप्ताह प्रोसेस फीस व सूची गवाहान दाखिल करे तत्पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी हो।

पत्रावली वास्ते हाजरी अभियुक्तगण दिनांक 20.10.2018 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर,पीलीभीत।